निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार राजपत्र

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ 1929 (श०)

(सं० पटना 520) पटना, शुक्रवार, 8 जून 2007

सं०-3/टेक-2001/06-2703

निबंधन,उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

उत्पाद एवं मद्य निषेध

संकल्प

7 जून 2007

विषय—उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकान की अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती नीति, 2007

उद्देश्य—(क) अवैध शराब की बिक्री का उन्मूलन।

(ख) निजी इकाइयों एवं व्यापारियों के एकाधिकार पर नियंत्रण।

(ग) उपभोक्ताओं के शोषण पर रोक।

(घ) उत्पाद राजस्व में वृद्धि।

उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के आदेश (अधिसूचना संख्या-1774, दिनांक 5 अप्रील 2007) द्वारा मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विभिन्न स्तरों पर विचारोपरांत राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि--

1. खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु वर्त्तमान में लागू निविदा-सह-डाक बोली प्रथा को समाप्त कर देश के अनेक राज्यों के भांति लॉटरी प्रणाली के तहत देशी/मसालेदार देशी तथा विदेशी शराब,कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती एक उत्पाद वर्ष अथवा उसके अंश के लिए किया जायेगा तथा उसके अगले वर्ष के लिए विभाग चाहे तो निर्धारित शर्त्तोंपर अनुज्ञप्ति का विस्तार कर सकेगा।

2. उत्पाद खुदरा दुकानों को निम्न चार श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा:—

(क) विदेशी शराब, बीयर एवं वाईन के साथ

(ख) देशी/मसालेदार देशी शराब

(ग) देशी/मसालेदार देशी एवं विदेशी शराब तथा बीयर के कम्पोजिट दुकान (मात्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)

(घ) चयनित डिपार्टमेन्टल स्टोर में वाईन बिकी की अनुज्ञप्ति की व्यवस्था।

3. दूकानों की संख्या में निम्नांकित छः श्रेणियों में विभक्त कर बंदोवस्ती की जाएगी।

(i) पटना नगर निगम
(ii) अन्य नगर निगम
(iii) नगर परिषद
(iv) नगर पंचायत
(v) प्रखंड मुख्यालय (जो उपरोक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)
(vi) अन्य ग्रामीण क्षेत्र।

उपर्युक्त सभी क्षेत्रों को दो भागों में यथा "**हाई पोटेंसियल जोन**" तथा "**लो पोटेंसियल जोन**" (प्रखंड मुख्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र छोड़कर) में विभक्त कर दूकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर ही दूकानों का वार्षिक/मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) का निर्धारण किया जायेगा।

4. ऊपर वर्णित श्रेणियों के आधार पर ही खुदरा उत्पाद दूकानों का वार्षिक अनुज्ञाशुल्क निर्धारित किया जायेगा।

5. लॉटरी द्वारा दूकानों की बंदोवस्ती के लिए दूकान की निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर निर्धारित प्रति एल0पी0लीटर की दर से देय वार्षिक अनुज्ञाशुल्क की राशि का 1/12 भाग प्रतिभूति के रूप में तथा उतनी ही राशि अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बंदोवस्तदार से तुरंत जमा करायी जायेगी।

6. "वाईन" (जो फलों के रस से तैयार कम अलकोहल वाली पेय है) को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद कर रू0 40/– प्रति एल0पी0ली0 निर्धारित किया जायेगा तथा वाईन पर देय उत्पाद कर के अतिरिक्त उसके लागत मूल्य (एक्स. डिस्टीलरी प्राईस) प्रति पेटी के योग पर 50 प्रतिशत 'वैट' वसूलनीय होगा। वाईन की बिकी चयनित डिपार्टमेन्टल स्टोर्स द्वारा भी करने की अनुमति दी जाएगी।

7. सभी प्रकार के खुदरा शराब दूकान यथा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, कंपोजिट शराब दूकान का अनुज्ञाशुल्क दूकान के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर प्रति एल0पी0लीटर निर्धारित कर लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्त की जाएगी।

8 विदेशी शराब की खुदरा दूकानों को भी देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा दूकानों की भांति अनुज्ञाशुल्क में उत्पाद कर की राशि को समाहित करते हुए निम्न प्रकार से अनुज्ञाशुल्क का निर्धारण किया जाएगा।

(क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दूकानों के लिए निर्धारित किये जाने वाले वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) के आधार पर प्रति एल0पी0लीटर की दर से अनुज्ञाशुल्क की राशि निर्धारित की जाएगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा दूकानों (कम्पोजिट शराब की दूकान सहित) के मामले में प्रत्येक दूकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर प्रति एल0पी0लीटर 150/–रू0 अनुज्ञाशुल्क की दर निर्धारित की जाएगी।

9. 500/–रू0 प्रति पेटी तक लागत मूल्य (एक्स. डिस्टीलरी प्राईस) पर 25/–रू0 प्रति एल0पी0लीटर की दर से उत्पाद–कर देय होगा तथा उसके योग पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य–कर) वसूलनीय होगा।

501/–रू0 से अधिक 800/–रू0 प्रति पेटी तक लागत मूल्य वाले विदेशी शराब पर 40/–रू0 प्रति एल0पी0लीटर तथा 801/–रू0 से अधिक लागत मूल्य वाले विदेशी शराब पर 60/–रू0 प्रति एल0पी0लीटर उत्पाद कर अधिरोपित किया जाएगा।

उपरोक्त लागत मूल्य एवं मूल्य आधारित उत्पाद कर की दर के योग पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य–कर) वसूलनीय होगा।

10. विदेशी शराब की खुदरा दूकान (कम्पोजिट शराब की दूकान सहित) के लिए निर्धारित होने वाले बीयर के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर 10/–रू0 प्रति बल्क लीटर अनुज्ञाशुल्क की राशि अधिरोपित की जायेगी तथा इसे अनुज्ञाशुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

11. साधारण बीयर/स्ट्रांग बीयर/सुपर स्ट्रांग बीयर के लिए प्रति बल्क लीटर उत्पाद–कर की दरें निम्नवत निर्धारित की जायेगी :–

साधारण बीयर (0.5 प्रतिशत आयतन/आयतन (भी0/भी0) से 5 प्रतिशत भी0/भी0 तक अल्कोहल वाला)	रू0 6.00 प्रति बल्क लीटर
स्ट्रांग बीयर (5 प्रतिशत भी0/भी0 से अधिक, किन्तु 8 प्रतिशत भी0/भी0 तक अल्कोहल वाली)	रू0 8.00 प्रति बल्क लीटर
सुपर स्ट्रांग बीयर (8 प्रतिशत भी0/भी0 से अधिक अल्कोहल वाली)	रू0 18.00 प्रति बल्क लीटर

बीयर के लागत मूल्य के साथ उपर्युक्त उत्पाद–कर सहित एकल बिन्दु पर वैट (वाणिज्य–कर) वसूलनीय होगा।

12. देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा दूकानों के लिए निर्धारित होने वाले वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर प्रत्येक देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा तथा कंपोजिट शराब दूकान में बिकने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर अनुज्ञाशुल्क की दर 70/–रू0 प्रति एल0पी0लीटर निर्धारित की जायेगी। देशी/मसालेदार देशी शराब तथा कमपोजिट शराब की दुकान में बिकने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब दूकानों के शराब के निर्गमन पर अधिरोपित निर्गमन शुल्क की राशि उपर्युक्त अनुज्ञाशुल्क में समाहित होगा। देशी/मसालेदार देशी शराब दूकान के लिए निर्धारित लागत मूल्य के आधार पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य–कर) वसूलनीय होगी। पूर्व की भांति देशी शराब/मसालेदार देशी शराब पर अधिरोपित उत्पाद कर की राशि अनुज्ञाशुल्क में समाहित कर बंदोवस्ती राशि के रूप में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के खुदरा दूकानों की बंदोवस्ती के पश्चात अनुज्ञाशुल्क के मद में वसूलनीय होगा।

13. सभी प्रकार के शराब की खुदरा दूकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा दूकानवार बंदोवस्त किया जायेगा। जो दूकाने किसी कारणवश बंदोवस्त नही हो सकेगी, वैसी दूकानों को बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 के द्वारा संचालित किया जायेगा।

14. देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब की खुदरा दूकानें तथा कंपोजिट शराब दूकानें, जो लॉटरी प्रणाली से बंदोवस्त की जायेगी, उनके लिए विभाग द्वारा बंदोवस्ती की प्रकिया (अनुज्ञाशुल्क की वसूली की प्रक्रिया सहित) निर्धारित की जायेगी तथा विभाग द्वारा अधिसूचित प्रकिया में निर्धारित शर्त्त एवं प्रावधान के आलोक में जिला के समाहर्त्ता द्वारा बंदोवस्ती की कार्रवाई की जायेगी।

15. लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोवस्ती की जाने वाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दूकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की खुदरा दूकानें तथा कम्पोजिट शराब के दूकानों की बंदोवस्ती हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दूकान के लिए भी आवेदन दे सकता है वशर्त्ते सभी दूकानों जिसके लिए आवेदन देगा उनपर विभाग द्वारा निर्धारित अलग–अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटायी नहीं जायेगी। परन्तु किसी एक व्यक्ति के साथ अधिकतम उक्त श्रेणियों में से तीन दूकानों की ही बंदोवस्ती एक जिले में की जायेगी।

16. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त की जानेवाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदक से निम्न श्रेणियों के अंतर्गत पड़ने वाली दूकानों के लिए प्रति दूकान निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि वसूलनीय होगी :–

	"हाई पोटेंसियल जोन" के लिए आवेदन शुल्क	"लो पोटेंसियल जोन" के लिए आवेदन शुल्क
(i) पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार के उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए	रू0 5000.00	रू0 4000.00
(ii) अन्य नगर निगम के लिए	रू0 4000.00	रू0 3000.00
(iii) नगर परिषद के लिए	रू0 3000.00	रू0 2000.00

(iv) नगर पंचायत के लिए	रू0 2000.00	रू0 1500.00
(v) प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्र से भिन्न हो)	रू0 1500.00	रू0 1500.00
(vi) अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 1000.00	रू0 1000.00

उपर्युक्त आवेदन शुल्क की राशि (जो वापसी योग्य नहीं होगी) दूकान विशेष की बंदोवस्ती लेने हेतू इच्छुक आवेदक की पात्रता से संबंधित सभी वांछित कागजात के साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा नगद राशि के रूप में आवेदको को जमा करना होगा।

17. लॉटरी द्वारा बंदोवस्त होनेवाली देशी शराब/मसालेदार देशी शराब तथा विदेशी शराब की दूकानों की अवस्थिति के मामले में दूकान के स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दूकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बंदोवस्ती की जा सकेगी। इस प्रावधान से किसी दूकान के लिए स्थल उपलब्धता की बाधा उत्पन्न नहीं होगी लेकिन 'ऑन सेल' दूकान के मामले में उत्पाद नियम–47 के शर्त्तों एवं बंधेज के अनुपालन की बाध्यता पूर्ववत लागू रहेगी।

18. वर्त्तमान में बिहार राज्य के अंतर्गत जितनी स्वीकृत दूकानें है, उनसे राज्य की वास्तविक खपत को पूरा नहीं किया जा रहा है, परिणाम स्वरूप अवैध स्रोत से शराब की आपूर्ति हो रही है जो जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। दूकानों की अनुपलब्धता के कारण विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता, अवैध स्रोत से बनाये गये शराब, जिसका कोई मानक नहीं है, का सेवन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस पर बहुत हद तक नियंत्रण करने के उददेश्य से विभिन्न प्रकार के खुदरा शराब की दूकानों की संख्या में वृद्धि करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :–

(क) खुदरा उत्पाद दूकानों की वर्तमान स्वीकृत संख्या को प्रथम चरण में दुगुना किया जायेगा और द्वितीय चरण में राष्ट्रीय औसत के अनुरूप स्वीकृत की जायेगी।

(ख) देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के लिए वर्तमान में प्रचलित 'ऑन' एवं 'ऑफ' व्यवस्था यथावत रहेगी।

(ग) विदेशी शराब की खुदरा दूकानें "ऑफ सोप" के रूप में बंदोवस्त होगी। यदि "ऑफ सेल" का कोई अनुज्ञप्तिधारी "ऑन सेल" के लिए आवेदन देता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति के वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क की देयता (वसूली) पर अनुमति दी जाएगी तथा वह उत्पाद नियम–47 के प्रावधानों के अंतर्गत ही खोली जायेगी।

19. लॉटरी द्वारा बन्दोवस्त की जानेवाली उत्पाद दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब दूकानों को मिलाकर प्रति 100 व्यक्ति पर लगभग 15 पेटी (केस) की दर से किया जायेगा। विभाग द्वारा इसकी गणना कर राज्य एवं जिलों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का सटीक निर्धारण किया जाएगा।

देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब एवं बीयर तथा वाईन की दूकानों के लिए खपत हेतु निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक परंतु 15 प्रतिशत की मात्रा तक यदि कोई अनुज्ञाधारी निर्गमन लेता है तो उसे निर्धारित कोटा से अतिरिक्त शराब के उठाव के लिए कोई अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क देय नहीं होगा, किन्तु निर्धारित कोटा से 15 प्रतिशत से अधिक मात्रा का निर्गमन लेने पर दूकान विशेष के लिए निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय प्रति एल0पी0लीटर अनुज्ञाशुल्क की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क के रूप में उसे अग्रिम रूप से देना होगा।

20. उपभोक्ताओं के शोषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के शराब पर अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया जायेगा एवं यह प्रत्येक बोतल/सैचेट पर अंकित किया जाएगा। निर्धारित होने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य में यह ध्यान रखा जाएगा कि सरकार के राजस्व (उत्पाद राजस्व + वैट) का अनुपात लगभग 60 प्रतिशत हो।

देशी/मसालेदार देशी, विदेशी शराब का थोक मूल्य पूर्व से चली आ रही प्रकिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अधिकतम खुदरा मूल्य के निर्धारण हेतु शराब का बेसिक मूल्य (एक्स. डिस्टीलरी प्राईस + ओभरहेड) के साथ एक्साईज ड्यूटी (उत्पाद–कर) एवं एकल बिन्दु "वैट" तथा अनुज्ञाशुल्क के अधिभार को जोड़ते हुए इस प्रकार आकलन किया जाएगा कि थोक

लाभांश अधिकतम खुदरा मूल्य का 5 प्रतिशत एवं खुदरा विक्रेता लाभांश अधिकतम खुदरा मूल्य का 15 प्रतिशत हो।

21. चूंकि भारत निर्मित विदेशी शराब अथवा बीयर पर वर्तमान में लागू उत्पाद कर का अधिकांश भाग को उसके खुदरा दूकानों की अनुज्ञाशुल्क में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर समाहित करने का निर्णय लिया गया है इसलिए होटल/रेस्टूरेंट, बार, स्वतंत्र बीयर बार, क्लब अथवा कैंटीन (सैन्य बल एवं अर्द्ध सैन्य बल द्वारा धारित कैन्टीन की अनुज्ञप्ति को छोड़कर) आदि से बिकने वाली भारत निर्मित विदेशी शराब पर उत्पाद राजस्व के रूप में 120/–रू0 प्रति एल0पी0लीटर की दर से आपूर्ति दी जाने वाली मात्रा पर परमिट शुल्क की वसूली की जायेगी। उपर्युक्त कोटि की अनुज्ञप्तियों से बिकने वाली भारत निर्मित बीयर पर उसकी कोटि के अनुसार परमिट शुल्क की वसूली निम्नवत की जायेगी :–

1. साधारण बीयर (5 प्रतिशत भी0/भी0 तक अल्कोहल वाली)	10 रू0 प्रति बल्क ली0
2. स्ट्रॉंग बीयर (5 प्रतिशत भी0/भी0 से अधिक 8 प्रतिशत भी0/भी0 तक अल्कोहल वाली)	10 रू0 प्रति बल्क ली0
3. सुपर स्ट्रॉंग बीयर (8 प्रतिशत भी0/भी0 से अधिक अल्कोहल वाली)	10 रू0 प्रति बल्क ली0

इसके अतिरिक्त उत्पाद कर एवं वैट की वसूली उपर वर्णित कंडिका संख्या–9 एवं 11 में लिए गए निर्णय के अनुसार की जायेगी।

उपर्युक्त प्रस्तावित परमिट शुल्क इन अनुज्ञप्तियों के लिये लागू अनुज्ञाशुल्क के अतिरिक्त होगा।

22. शहरी क्षेत्र से कम से कम आठ किलोमीटर बाहर अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राजकीय राजमार्गों में ढाबों में भारत निर्मित विदेशी शराब/बीयर को परिसर में ('ऑन' बिक्री के रूप में) पिलाने की अनुज्ञप्ति दी जायेगी, जिसके लिए नियत वार्षिक अनुज्ञाशुल्क की दर रू0 50,000/–(पचास हजार रू0) प्रति अनुज्ञप्ति निर्धारित किया जायेगा। इन ढाबों में बिकने वाली भारत निर्मित विदेशी शराब तथा बीयर के लिए उपर्युक्त कंडिका संख्या–21 में वर्णित परमिट शुल्क वसूलनीय होगा।

23. उपर्युक्त सभी निर्णय में दिनांक 01 जूलाई 2007 से प्रभावी होंगे।

आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमीर सुबहानी,
आयुक्त उत्पाद-सह-सचिव,
निबंधन-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 520-571+500-डी0 टी0 पी0।